कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्था/ 2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती डॉ. रचना शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर, जयपुर, जिला जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रसीली, जिला जयपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3164/2019 रचना शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3164/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.11.2019 द्वारा अपीलार्थी श्रीमती डॉ. रचना शर्मा को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय एवं राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वंय के विधवा होने के मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि आदर्श नगर, जयपुर, समसा जयपुर, एवं स्टेट ओपन जयपुर में पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त स्थानान्तरण आवेदनों को प्राथमिकता प्रदान किये जाने के अनुसरण में ही अपीलार्थी को जयपुर जिले में ही स्थानान्तरित किया गया था। **अपीलार्थी केवल मात्र शहर में ही पदस्थापित रहना चाहती है जो कि किसी भी राज्य सेवा के अधिकारी के लिए उचित नहीं है।** राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा राज्य सेवा के अधिकारी को प्रशासकीय आवश्यकता, विभागीय प्राथमिकता, छात्र एवं राज्य हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्रीमती डॉ. रचना शर्मा द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.11.2019 में विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक स्थगित किया था। चूंकि श्रीमती डॉ. रचना शर्मा का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जाता है, अतः श्रीमती शर्मा को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में नवीन कार्यग्रहित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रसीली, जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर ही पदस्थापित रहेंगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील /रचना/3164/2019 **दिनांकः** 27.11.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर।

5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती रचना शर्मा, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned by CamScanner